न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/139 राजस्व वाद

दिनांक– 10.11.2025

अनवान

1. लीलादेवी पुत्री स्व. हरलाल जी, जाति लौहार, आयु 55 वर्ष, निवासी लौहारों की तलाई, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, हाल निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमंद।
2. खमाणी देवी पुत्री स्व. हरलाल जी, पत्नि भंवरलाल जी, जाति लौहार, आयु 65 वर्ष, निवासी लौहारों की तलाई, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, हाल निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

1. बंशीलाल पिता हरलाल जी, जाति लौहार, आयु 52 वर्ष, निवासी लौहारों की तलाई, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. देवीलाल पिता हरलाल जी, जाति लौहार, आयु 50 वर्ष, निवासी लौहारों की तलाई, झालों की मदार, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (मृतक के बजाय) –
   2/1 सुन्दरबाई पत्नि स्व. देवीलाल जी, जाति लौहार, आयु 40 वर्ष
   2/2 सोनू पुत्री स्व. देवीलाल जी, जाति लौहार आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुन्दरबाई
   2/3 युविका पुत्री स्व. देवीलाल जी, जाति लौहार, आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुन्दरबाई
   2/4 काजल पुत्री स्व. देवीलाल जी, जाति लौहार, आयु 09 वर्ष, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुन्दरबाई
   2/5 काव्या पुत्री स्व. देवीलाल जी, जाति लौहार, आयु 02 वर्ष, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति सुन्दरबाई
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद/ उप पंजीयक महोदय, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सौरभ वशिष्ठ, अधिवक्ता वादीगण।
प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक–तरफा।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 10.11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण द्वारा वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम झालों की मदार, पटवार हल्का झालों की मदार, भू–अभिलेख निरीक्षक कोशीवाडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ, ब एवं स में वर्णित कृषि आराजीयात् स्थित है। परिशिष्ट अ, ब, स इस वाद पत्र का अभिन्न अंग है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का पैतृक सजरा निम्न प्रकार है–

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

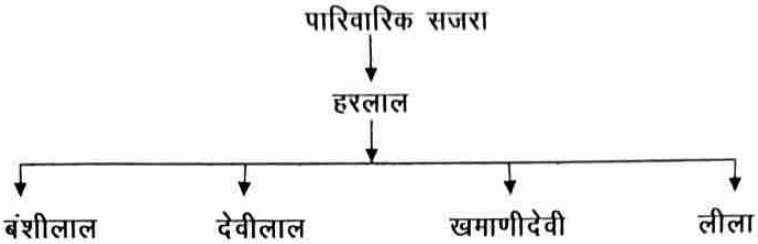

वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात् में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ब में वर्णित आराजीयात् में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा निहित है। वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट स में वर्णित आराजीयात् में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात् जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित किया गया है, उक्त भूमि हरलाल के हिस्से अनुसार हरलाल के नाम पर दर्ज थी, उसी अनुसार उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते थे तथा फसल, पापडी इत्यादि प्राप्त करते थे। उनके बाद उनके वारिसानों अर्थात् वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा हरलाल जी से प्राप्त हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। तथा उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। हरलाल के पीछे दो पुत्र व दो पुत्रियां थी, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उत्पन्न हुए उक्त चारों ही हरलाल के एकमात्र वारिस/उत्तराधिकारी है, इनके अलावा अन्य कोई हरलाल के वारिस/उत्तराधिकारी नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त वादग्रस्त आराजीयात् जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ अ, ब, स में वर्णित है में अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर अपने पिता हरलाल जी के जीवन काल से ही उपयोग–उपभोग काश्त करते चले आ रहे हैं और वादग्रस्त आराजीयात् जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित है के वे खातेदार काश्तकार है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वादग्रस्त आराजीयात् के जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ, ब, स में वर्णित है हिस्से का जो कि स्वर्गीय हरलाल जी के है, के खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना व राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ वादीगण का नाम अंकित कराया जाना आवश्यक है जिस निमित्त यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण को इस गलत इन्द्राज की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी और वादीगण यही समझते रहे कि उनके पिता हरलाल जी के देहान्त के पश्चात् उनकी भूमियों का नामान्तरकरण विरासत से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर दर्ज हो गया होगा परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने गलत रूपेण राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने आपको गलत रूपेण हरलाल जी के वारिसान् बताते हुए हरलाल जी की भूमियों को अपने नाम पर दर्ज करा लिया है जो गलत हैं और जानकारी होते ही बिना किसी विलंब के यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि प्रतिवादी संसख्या 01 व 02 ने हरलाल जी के जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित है हिस्से की भूमियों को मिलीभगत कर गलत रूपेण अपन नाम दर्ज करा दी है और अब प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने नाम गलत रूपेण दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमियों को अन्य का अंतरित करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को इस प्रकार गलत रूपेण भूमियों को विक्रय करने करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का स्वर्गीय हरलाल जी की जमीन में कोई हक स्वत्व नहीं है और प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा विक्रय कर देने पर वादीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगें और इस बाबत् प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 10.12.2017 को विक्रय करने की धमकी दी। वादीगण को पूर्ण आंशका हो गई है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 गलत रूप से अपने नाम पर दर्ज भूमियों को जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित है को अन्य को विक्रय कर देगें जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है और फिर ताकत के बल पर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात् से बेदखल कर देगें। अतः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूध्द इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि वह वादग्रस्त आराजीयात् में अपने हिस्से अर्थात् वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

वर्णित हिस्से को अथवा इनके किसी भी भाग को अन्य किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करें, राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें, भूमियों में वादीगण के उपयोग–उपभोग कब्जे–काश्त में किसी प्रकार की बाधा, दखलअंदाजी पैदा नहीं करें व वादीगण को भूमियों से बेदखल नहीं करें। उपरोक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा यदि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व जारी नहीं कि गई जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त आराजीयात् जिसका विवरण वादपत्रके साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित हिस्से में से अपने नाम गलत रूपेण दर्ज हिस्से को अन्य को विक्रय या अन्य प्रकार अन्तरित कर देगें, जबरन वादीगण को बेदखल कर देगें। जिससे वादीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ या अन्य प्रकार से संभव नहीं होगा, व्यर्थ के विवाद व मुकदमेंबाजी बढेगी तथा वादीगण व उनके बाल बच्चे भारी परेशानी में फस जायेगें। वादीगण के वैद्य विधिक हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं वादीगण के साथ भारी अन्याय होगा। अतः न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। जिस निमित्त भी यह वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 10.12.2017 को प्रतिवादीगण ने उक्त वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित भूमियों को विक्रय अन्तरण करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः निवेदन है कि:–

वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात् जिसका पूरा विवरण वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित किया गया है उसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ वादीगण को खातेदार का तकार घोषित फरमाये जाकर इस आशय की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जावें एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन कराया जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात् जिसका पूरा विवरण वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित किया गया है में वादीगण के उपयोग–उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट दखलदांजी पैदा करें न ही वादीगण को इन भूमियों से बेदखल करें। वादग्रस्त भूमियों को अन्य किसी को विक्रय या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें। उक्त कार्य प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने अन्य किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट या अन्य के जरिये भी नहीं करावें। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उक्त भाति का अवैध कृत्य कर देवे और भूमियां अन्य को विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरति कर देवे व वादीगण को भूमियों से बेदखल कर दिये जावे तो पुनः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खर्चे से पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावें एवं वादीगण को पुनः कब्जा दिलाया जावें। वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र के साथ संलग्ल परिशिष्ट अ,ब,स में वर्णित भूमियों या इसके किसी भी भाग के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा कोई हस्तान्तरण/ विक्रय विलेख या अन्य कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर वे इसका पंजीयन न करें, न करावें।

परिशिष्ट अ

मौजा राजस्व ग्राम झालों की मदार, पटवार हल्का झालों की मदार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोशीवाडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 479 पुराना 459 में निम्नलिखित आराजीयात् स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा
4008	00.04 चार बिस्वा
4009	00.04 चार बिस्वा
4015	00.02 दौ बिस्वा
4020	00.08 आठ बिस्वा
4026	00.05 पांच बिस्वा
4027	00.01 एक बिस्वा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

कुल किता 06, कुल रकबा 01.04 एक बीघा चार बिस्वा
उक्त आराजीयात् में चाह.नबंर 4022 स्थित है, जिसमें एक कुंआ बना हुआ है, जिसका उपयोग–उपभोग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 करते चले आ रहे है। जिसका भी हिस्सा निर्धारण किया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित आराजीयात् में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/2 हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट ब

मौजा राजस्व ग्राम झालों की मदार, पटवार हल्का झालों की मदार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोशीवाडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 1010 पुराना 457 में निम्नलिखित आराजीयात् स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा
4006	00.04 चार बिस्वा
4007	00.11 ग्यारह बिस्वा

कुल किता 02 कुल रकबा 00.15 पन्द्रह बिस्वा

उक्त वर्णित आराजीयात् में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा निहित है।

परिशिष्ट स

मौजा राजस्व ग्राम झालों की मदार, पटवार हल्का झालों की मदार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोशीवाडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 479 पुराना 459 में निम्नलिखित आराजीयात् स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा
4005	01.03 एक बीघा तीन बिस्वा

कुल किता 01, कुल रकबा 01.03 एक बीघा तीन बिस्वा

उक्त वर्णित आराजीयात् में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा निहित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित। बार–बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व कार्यवाही एक–तरफा की जाती है। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी हेतु गवाह खमाणी बाई एवं लीला स्वंय उपस्थित होकर शपथ पत्र Pw-1 Pw-2 पेश किए जिनका मुख्य परीक्षण किया जाकर शा.फा.किए गए। प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श कराया गया। वादी अधिवक्ता ओर गवाह पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादीयागण का वाद स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस पर पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071–2074 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादीया खातेदार हरलाल की विधिक पुत्रियाँ है तथा खातेदार हरलाल की संपत्ति में वादीयागण का भी हक अधिकार निहित है। वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत सजरे अनुसार भी वादीयागण हरलाल की विधिक पुत्रियाँ होना साबित होता है। वादी साक्ष्य के दौरान भी प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अपने बयानों में भी वादीयागण द्वारा स्वंय को खातेदार हरलाल की पुत्रियाँ बताया है साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 देवीलाल पिता हरलाल द्वारा स्वंय उपस्थित होकर वादपत्र का स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

समस्त दस्तावेजों एवं गवाह के बयानों के आधार पर वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:–

–: आदेश :–

परिणामस्वरूपः वादीयागण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झालों की मदार, पटवार हल्का झालों की मदार, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कोशीवाडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद में स्थित जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या नया 479 पुराना 459 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 4008,4009,4015,4020,4026,4027 कुल किता 06 कुल रकबा 01–04 एक बीघा चार बिस्वा, खाता संख्या नया 1010 पुराना 457 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 4006,4007 कुल किता 02 कुल रकबा 00–15 पन्द्रह बिस्वा, खाता संख्या नया 4005 रकबा 01–03 एक बीघा तीन बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 01–03 एक बीघा तीन बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 01 बंशीलाल पिता स्व. हरलाल व प्रतिवादी 02 देवीलाल पिता हरलाल के साथ वादीयागण लीलादेवी पुत्री स्व.हरलाल एवं खमाणीदेवी पुत्री स्व. हरलाल को भी खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर/नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया गया।

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द